डिक्री मूल वाद पत्र

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 233/2020

खेतपालगिरी आयु 73 वर्ष पुत्र सुखगिरी जाति गुसाई निवासी सुरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——वादी

–:बनाम:–

राजेन्द्रगिरी पुत्र खेतपालगिर जाति गुंसाई निवासी सुरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 92–ए, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादी की ओर से श्री सोहनलाल सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से श्री तरसेम सिंह सिद्धू इस वाद मे **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा अन्तर्गत धारा 92–ए व 188 के तहत वाद निम्नानुसार घोषणा की जाती है:–

तहसील पीलीबंगा के चक 5 एचडीपी के प. नं. 6/251 के किला नं. 7, 8, 13, 14 की 1.012 हैक्ट. नहरी व चक 6 एचडीपी के प.नं. 7/252 का किला नं. 4/2/.038, 5/1/.126, 7/1/.152, 8, 12/2/.139, 13, 18/3/.089, 19/3/.051 ,20/3/.013 की 1.114 हैक्ट. अनकमाण्ड व प.नं. 5/252 के किला नं. 21/1/.126, 22/1/.164, 23/1/.215 की 0.505 हैक्ट. अनकमाण्ड कुल 1.619 हैक्ट. अनकमाण्ड भूमि कुल 2.631 हैक्ट. कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि तथा चक 6 एचडीपी के प.नं. 7/252 के किला नं. 16/1/.076, 17/1/.126, 18/2/.139, 19/2/.152, 20/2/.152, 24/2/013, 25/2/.063 की 0.721 भूमि तथा चक 6 एचडीपी के प.नं. 5/252 का किला नं. 21/2/. 126, 22/2/.089, 23/2/.038, 24/2/.013 की 0.266 हैक्ट. अनकमाण्ड भूमि एवं चक 7 एचडीपी के प.नं. 8/251 का किला नं. 23/1/.025, 24/1/.025, 25/1/.025 की .075 नहरी भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि में वादी के आधिपत्य में किसी प्रकार से कोई दखल अंदाजी करने व वादी को जबरन बेदखल करने एवं वादी की उक्त वर्णित भूमि में खड़ी फसल को किसी रूप में नष्ट करने से निषेध रहे। स्थाई व्यादेश पारित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी [illegible] का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:57 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा